न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—262/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/262)

1. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम हटुपुरा, तहसील व जिला दूदू।

अपीलांट

बनाम

1. गोपी पुत्र रामकरण, जाति जाट निवासी हटुपुरा, तहसील व जिला दूदू।
2. हरदेव पुत्र बोदू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 विश्राम पुत्र हरदेव
   2/2 मेहराम पुत्र हरदेव
   2/3 श्रीराम पुत्र हरदेव
   2/4 पोखर पुत्र हरदेव
3. अखेराम पुत्र रामकरण
4. रामलाल पुत्र बिरदा
5. भैरू पुत्र बिरदा
6. सूरजमल पुत्र रंगलाल
7. लक्ष्मण पुत्र मुकना (मृतक) जरिए वारिसानः—
   7/1 रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण
   7/2 हीरालाल पुत्र लक्ष्मण
8. रतन पुत्र मुकना (मृतक) जरिए वारिसानः—
   8/1 प्यारेलाल पुत्र रतन
   8/2 रामजीवण पुत्र रतन
   8/3 रामनारायण पुत्र रतन
   8/4 रामचरण पुत्र रतन
   8/5 सोनाराम पुत्र रतन
   8/6 श्रीराम पुत्र रतन (मृतक) जरिए वारिसानः—
   8/6/1 नरेन्द्र चौधरी पुत्र श्रीराम
   8/6/2 मनीष चौधरी पुत्र श्रीराम
   8/6/3 शांतिदेवी पत्नि श्रीराम
9. नारायण पुत्र गणेश (मृतक) जरिए वारिसानः—
   9/1 हनुमान सहाय पुत्र नारायण
   9/2 श्रवणलाल पुत्र नारायण
10. अमरचंद पुत्र रघुनाथ
11. रूकमा पत्नि रघुनाथ
12. भानाराम पुत्र कल्याण
13. गुमानमल पुत्र कल्याण
14. रामनाथ पुत्र गणेश (मृतक) जरिए वारिसानः—
    14/1 बजरंग पुत्र रामनाथ
    14/2 रामचन्द्र पुत्र रामनाथ
15. परसा पुत्र रोडू
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हटुपुरा, तहसील व जिला दूदू।
16. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मरवा, तहसील व जिला दूदू।
17. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दूदू।
18. प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा बगरू, तहसील व जिला दूदू।
19. प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
20. प्रबंधक मरूधरा बैंक शाखा साखून, तहसील व जिला दूदू।
21. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील दूदू।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 राजस्व वाद संख्या 83/2015

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गुमान कुमावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3
3. श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4, 4 व 5, 8/3, 12 से 14/2
4. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 व 15
5. श्री रविन्द्र सेठी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 16
6. श्री हितेश सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 18 व 19
7. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 21
8. रेस्पोडेंट संख्या 6, 8/4 से 8/6/3, 9/1 से 9/2, 10, 11, 17 व 20 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 83/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट्स उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 29.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 9 एवं 11 लगायत 14 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 9 एवं 11 लगायत 14 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली केम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 4, 10, 15 लगायत 19 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4, 10, 15 लगायत 19 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर वाद को मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाने का आदेश पारित कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 83/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6, 8/4 से 8/6/3, 9/1 से 9/2, 10, 11, 17 व 20 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं वाद पत्र में वर्णित सजरे अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं कर अपूर्ण

एवं त्रुटिपूर्ण राजीनामे के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसकी प्रार्थी को अज्ञानतावश पूर्व में जानकारी नहीं हुई। जब दिनांक 8.10.2024 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया एवं उसके पक्ष में निर्णय होने बाबत बताया तो प्रार्थी ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया जिन्होंने बताया कि उसके विरूद्ध निर्णय पारित हो गया जिसमें आपकी आराजी का विधिवत विभाजन नहीं कर कम ज्यादा भूमि अविधिक राजीनामे के आधार पर दर्ज की गई है जिसके विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की विधिक सलाह दी। जिस पर प्रार्थी कानूनी सलाह प्राप्त कर एवं फीस आदि का प्रबन्ध कर अजमेर आया एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अविलम्ब उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील प्रस्तुत किए जाने में पर्याप्त एवं सदभाविक कारण होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में भारी भूल की है कि जमाबन्दी में दर्ज सभी खातेदारान को वादी द्वारा वाद प्रस्तुती के समय वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिससे आवश्यक पक्षकारों के अभाव में उपरोक्त राजीनामा अपूर्ण होने एवं उक्त अपूर्ण राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प में किया गया जहां सभी वादी एवं प्रतिवादीगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे तथा जो राजीनामा पत्रावली में उपलब्ध था, में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक एवं उचित हक हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार अंकित नहीं था। बावजूद इसके उक्त त्रुटिपूर्ण राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्त योग्य है। वाद पत्र में वर्णितानुसार खाता संख्या 322 कुल किता 57 कुल रकबा

63.6500 हैक्टर एवं खाता संख्या 259 कुल किता 65 कुल रकबा 38.7300 हैक्टर कुल खाता 2 कुल रकबा 102.3800 हैक्टर भूमि थी जिसमें वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित सजरा अनुसार वादग्रस्त आराजीयात अमरा के पुत्र क्रमशः सल्ला, बोदू, मुकना एवं गणेश के बराबर हिस्सेदारी अर्थात प्रत्येक की 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी भूमि थी जिसके अनुसार बोदू पुत्र अमरा का वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा (25.595 हैक्टर भूमि) आती है के विधिक वारिसान यथा हरदेव पुत्र बोदू एवं रामकरण पुत्र बोदू का बहिस्सा बराबर 1/8–1/8 हिस्सा एवं रामकरण पुत्र बोदू के विधिक वारिसान यथा गोपी (वादी), जगदीश (अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 3) तथा अखेराम (प्रतिवादी संख्या 2) प्रत्येक का 1/24–1/24 हक हिस्सा निहित करता है परन्तु वाद पत्र में प्रविष्टि अ में बोदू पुत्र अमरा के हिस्से में 22.01 हैक्टर भूमि ही दर्शाई गयी जिसकी जानकारी अपीलांट/प्रतिवादी को नहीं थी केवल पारिवारिक समझाईश एवं मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांट/प्रतिवादी ने परिवार के सदस्यों के कहने पर अज्ञानतावश सहमति प्रदान कर दी जबकि उक्त वाद में वर्णित हिस्सेनुसार अपीलांट को बंटवारे में कम भूमि प्राप्त हुई। इसी अनुसार अन्य प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के भी वाद पत्र में जो प्रविष्टियों में हक, हिस्से बताये गए हैं वे भी वादग्रस्त आराजीयात में निहित विधिक हक हिस्से अनुसार कम, ज्यादा दर्शा दिये गए तथा त्रुटिपूर्ण अज्ञानता से राजीनामा भी दर्शा दिया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.6. 2016 अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में निहित विधिक अधिकार, हक, हिस्से एवं कब्जा स्थिति अनुसार विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2016 काबिल निरस्तनीय है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी स्वार्थ सिद्धी हेतु उक्त राजीनामा प्रस्तुत किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं आपस में भाई भतीजे हैं को मुगालते में रखकर सभी से मिथ्या कथन कर वाद को राजीनामे से डिक्री करवा लिया जबकि उक्त राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर अपूर्ण एवं प्रतिवादीगण के अधिकारों एवं कब्जे काश्त के विपरीत है जिससे उक्त कूटरचित राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री अविधिक एवं गैर कानूनी होकर काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 83/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के आराजी खतौनी संख्या 322 कुल किता 65 कुल रकबा 38.7300 हैक्टेयर वाके ग्राम हटुपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार है जो कि गलत है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजीयात है। सिजरा के अनुसार पक्षकारान का पूर्वज अमरा रहा है जिसके चार पुत्र क्रमशः सल्ला, बोदू, मुकना व गणेश हुये, जिनके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 वारिसान है। वरवक्त पर्चा सैटलमेन्ट संवत् 2011 में पक्षकारान के पूर्वज अमरा का स्वर्गवास हो गया था जिससे आराजीयात उसके चारों पुत्रो क्रमशः सल्ला, बोदू, मुकना व गणेश के नाम से कम ज्यादा का पर्चा जारी हो गया जबकि उस वक्त चारों भाई शामिल में ही निवास करते थे, चारों भाईयो का पूजा, पाठ, भोजन, भजन एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार में होता था तथा विवादित आराजीयात पर भी वरवक्त पर्चा मौके पर चारों भाई बराबर–बराबर अर्थात 1/4–1/4 हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे इसलिये चारों भाईयों के नाम से बराबर–बराबर ही नाम दर्ज होनी चाहिये थी। अब वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 ने अपनी सुविधा अनुसार आराजीयात को निम्न प्रकार से मौके पर बांटकर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। परिशिष्ट अ, वादी गोपी व प्रतिवादी संख्या 2 अखैराम

व प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश के हिस्से की आराजी, खाता संख्या 322 में से, खसरा नंबर 131 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 1.20 है0 खसरा नम्बर 134 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 200 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 292 रकबा 1. 59 है0, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2565 रकबा 0.94 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 5.84है0 रहेगा। खाता संख्या 259 कुल किता 14 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर रहेगा। परिशिष्ट ब, प्रतिवादी संख्या 1 हरदेव पुत्र बोदू के हिस्से की आराजी, खाता संख्या 322 में से खसरा नंबर 15 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 134 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 200 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2565 रकबा 1.88 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 6.19 हैक्टेयर रहेगा। खाता संख्या 259 कुल किता 13 कुल रकबा 5.14 हैक्टेयर। परिशिष्ट स, प्रतिवादी संख्या 4 रामलाल व प्रतिवादी संख्या 5 भैरू पुत्रान बिरदा के हिस्से की आराजी, खाता संख्या 322 में से खसरा नंबर 124 लाजा 1.38 हैक्टेयर खसरा नंबर 126 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नंबर 127 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 129 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 202/3342 रकबा 2.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा – नंबर 287 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 292 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 812 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 813 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2565 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2566 रकबा 0.57 हेक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 259 कुल किता 16 कुल रकबा 4.96 हैक्टेयर रहेगा। परिशिष्ट द, प्रतिवादी संख्या 6 सुरजमल पुत्र रंगलाल व प्रतिवादी संख्या 7 लक्ष्मण पुत्र मुकना के हिस्से की आराजी खाता संख्या 322 में कुल किता 16 कुल रकबा 5.42 हैक्टेयर। परिशिष्ट य प्रतिवादी संख्या 8 रतन पुत्र मुकना के हिस्से की आराजी खाता संख्या 322 कुल किता 14 कुल रकबा 6.12 हैक्टेयर, खाता संख्या 259 कुल किता 14 कुल रकबा 4.70 हैक्टेयर। परिशिष्ट र, प्रतिवादी संख्या 9 नारायण पुत्र गणेश के हिस्से की आराजी खाता संख्या 322 कुल किता 11 कुल रकबा 5.99 हैक्टेयर खाता संख्या 259 कुल किता 12 कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर रहेगा। परिशिष्ट ल, प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 अमरचन्द, मानाराम व गुमानमल के हिस्से की आराजी खाता संख्या 322 कुल किता 11 कुल रकबा 598 हैक्टेयर, खाता संख्या 253 कुल किता 07 कुल रकबा 3.01 हेक्टेयर रहेगा। परिशिष्ट व प्रतिवादी संख्या 13 रामनाथ पुत्र गणेश के हिस्से की आराजी खाता संख्या 332 कुल किता 12 कुल रकबा 6.57 हैक्टेयर, खाता संख्या 259 कुल किता 11 कुल रकबा 2.70 हैक्टेयर। परिशिष्ट ष, प्रतिवादी संख्या 14 परसा पुत्र रोडू के हिस्से की आराजी खाता संख्या 322 कुल किता 17 कुल रकबा 10.77, खाता संख्या 259 कुल किता 15 कुल रकबा 4.48 हैक्टेयर। उपरोक्त अनुसार पक्षकारान ने आराजीयात को बांटकर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिस बाबत पक्षकारान के मध्य दिनांक 25/09/2014 को बाहमी बंटवारा बाबत पारिवारिक सैटलमेन्ट हुआ है जिस सैटलमेन्ट के अनुसार ही पक्षकारान मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुसार जिसके हिस्से में जो जमीन आयी है उसको पक्षकारान ने खाद बीज डालकर समतल कर काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है तथा इसी अनुसार घोषणा चाहकर बंटवारा करवाना चाहते है इसलिये मौके पर काबिज अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। मुताबिक सिजरा पक्षकारान के पूर्वज चारों भाई क्रमशः सल्ला, बोदू, मुकना व गणेश की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात उनके वारिसान अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में उसी अनुसार कम ज्यादा दर्ज हो गयी जो वर्तमान में भी बदस्तूर चली आ रही है। चूंकि चारों भाई शामिल में निवास करते थे इसलिये मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे कभी भी आपस में अविश्वास का प्रश्न नहीं रहा, जब–जब भी वादी के पूर्वज बोदू ने प्रतिवादीगण के पूर्वज क्रमश सल्ला, मुकना व गणेश को उक्त आराजीयात बराबर–बराबर नाम लगाने बाबत कहा तो वे उक्त आराजीयात नाम लगाने बाबत आश्वासन ही देते रहे कि मौके पर बराबर–बराबर कब्जा काश्त है कभी भी नाम लगवा देगे और प्रतिवादीगण के पूर्वज सल्ला, मुकना व गणेश की दे मृत्यु के पश्चात जब–जब भी

वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात नाम लगाने व तकासमा बाबत कहा तो वे भी अब तक वादी को उक्त आराजीयात नाम लगाने के लिये यही आश्वासन देते रहे कि मौके पर काबिज काश्त हो, कभी भी नाम लगवा देगे लेकिन नाम नहीं लगवायी। अब वर्तमान में जमीनों बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न होने लग गया है इसलिये जब वादी ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त आराजीयात मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार नाम लगाने के लिये अंतिम बार दिनांक 20/06/2015 को कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात नाम लगाने से साफ इंकार कर दिया जिससे वादी को वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो वादी के विधिक अधिकारों पर सख्त हकतलफी होगी, यादी को न्याय से महरूम रहना पड़ेगा। झगडा विवाद बढकर जन धन की हानि हो सकती है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पक्षकारान के मध्य विधिक बंटवारा नहीं होने से आये दिन मेरे कोर को लेकर विवाद रहता है चूंकि वादी ने अपने हिस्से को काफी रूपया खर्च कर अधिक उपजाऊ बना लिया है इसलिये यह वाद बाबत तकासमा का भी पेश किया जाना आवश्यक हुआ है इसलिये विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मौके पर काबिज अनुसार संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वाद पत्र में वर्णितानुसार तकासमा कर लगान की फेटबंदी अलहदा–अलहदा किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 19 के यहां उक्त आराजी रहन होने से एवं प्रतिवादी संख्या 20 भू धारक होने से पक्षकार कायम किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4, 4 व 5, 8/3, 12 से 14/2 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील करीबन 8 वर्ष मियादबाहर प्रस्तुत की गई है, जिसमें मियाद के बिंदु पर कोई यथोचित युक्तियुक्त कारण नहीं बताया इसलिए सहमति की डिक्री के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष बिना किसी लोकस व कारण के प्रस्तुत की गयी अपील भारी मियादबाहर होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। सहमति/राजीनामा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है जो कि उक्त प्रावधानों के विपरीत होने से अपील को निरस्त किया जाना चाहिए। अपीलांट विचारणीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा दिनांक 29.07.2015 को प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर के कैम्प कोर्ट/न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा कैन्द्र ग्राम पंचायत बिंगोलाव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो अब सहमति एवं राजीनामा की डिक्री के विरूद्ध करीबन 8 वर्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की जो मयाद के बिन्दु पर एवं सहमति की डिक्री के आधार पर भी कतई चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायालय की सहमति की डिक्री में किसका हिस्सा कम व किसका हिस्सा ज्यादा हुआ है, यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है जबकि उक्त डिक्री के बाद उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 82/2015 बउनवानी गोपी बनाम रामलाल वगैरह जो दिनांक 27.07. 2015 को वाद प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 08.09.2020 को सभी पक्षकारों ने स्वयं उपस्थित होकर के सहमति के आधार पर शेष बची भूमि का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी सुविधा अनुसार आराजीयात् का बंटवारा/तकासमा किया और उक्त डिक्री में कोई खसरा छूट गया या लिपिकीय त्रुटि होने पर उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 09.12.2021

को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर दिनांक 08.09.2020 को अंतिम डिक्री पारित की गई और जब उक्त आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई और उसकी आज तक कोई अपील नहीं की गयी इसलिए न्यायालय के समक्ष बिना किसी लोकस व कारण के प्रस्तुत की गयी अपील भारी मियादबाहर होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील में प्रतिवादी संख्या 4, 10 एवं 15 डिक्री के समय न्यायालय में तलबी के बावजूद उपस्थित नहीं होना बताया। उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 रामलाल पुत्र श्री बिरदा जाति जाट जिनके राजीनामा में हस्ताक्षर थे लेकिन कोर्ट द्वारा तलबी के समय उपस्थित नहीं थे लेकिन डिक्री से सहमत थे। इस हेतु न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 10 अमरचन्द चौधरी पुत्र श्री रघुनाथ चौधरी जाति जाट जिनके राजीनामा में हस्ताक्षर है लेकिन कोर्ट द्वारा तलबी के समय उपस्थित नहीं थे फिर भी उक्त प्रथम डिक्री दिनांक 03.06.2016 व द्वितीय डिक्री दिनांक 08.09.2020 लेकिन डिक्री से सहमत थे। इस हेतु न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 15 परसा पुत्र श्री रोडू जाति जाट जिनके राजीनामा में हस्ताक्षर है लेकिन कोर्ट द्वारा तलबी के समय उपस्थित नहीं थे फिर भी उक्त प्रथम डिक्री दिनांक 03.06. 2016 व द्वितीय डिक्री दिनांक 08.09.2020 लेकिन डिक्री से सहमत थे। इस हेतु न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर की डिक्री दिनांक 03.06.2016 की पालना में तहसीलदार दूदू द्वारा डिक्री की पालना करके राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारों के खाते अलग–अलग कायम कर दिये इसलिए अब 8 वर्ष पश्चात् डिक्री के माध्यम से हुए राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग सभी वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते कायम हो गये और अलग–अलग कब्जे काश्त के अनुसार सभी वादी एवं प्रतिवादीगण की बराबर–बराबर अलग–अलग खाते कायम हो गये और उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के द्वारा दिनांक 03.06.2016 की डिक्री में बाकी बची आराजी को उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2020 को संशोधित/अंतिम डिक्री और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सहपठित धारा 151 सी. पी.सी. के तहत दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया। उसके बाद पक्षकारों के मध्य आराजी कम–ज्यादा होने के बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं बचा है और अपीलांट द्वारा उक्त डिक्री का हवाला उक्त अपील में नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर सव्यय खारिज करना चाहिए।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7/1, 7/2, 8/1 व 15 ने न्यायालय के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट कैम्प में पत्रावली का राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया था जिसमें समस्त सह खातेदारों की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया जो विधिनुसार नहीं होकर लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट कैम्प में उपस्थिति हेतु किसी प्रकार के नोटिस भी पक्षकारों को नहीं दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भारी विधिक भूल की है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट्स की भी खातेदारी आराजीयात को अपने आक्षेपित आदेश से कम कर दिया है जिससे उपरोक्त आक्षेपित आदेश काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। वादी/रेस्पोडेन्ट गोपी ने अपने स्वार्थ सिद्धी हेतु उक्त राजीनामा प्रस्तुत किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं आपस में भाई भतीजे हैं को मुगालते में रखते हुए सभी से मिथ्या कथन करते हुए वाद को राजीनामा से डिक्री करवा लिया जबकि उक्त राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर अपूर्ण एवं प्रतिवादीगण के हक, अधिकारों एवं कब्जे काश्त के विपरीत है जिससे उक्त कूटरचित राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री भी अविधिक एवं गैर कानूनी होकर काबिल

निरस्त योग्य है। आक्षेपित आदेश की आड में अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर समस्त पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में न्यायोचित आदेश पारित करे।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 18 व 19 द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील में दर्ज तथ्य अन्य रेस्पोंडेंट से संबंधित है किन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड रेस्पोंडेट संख्या–4, 5, 8/2, 8/3, 9/2, 12, 13 व 15 ने मिन रेस्पोडेंट बैंक के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी को रहन रखकर उक्त आराजी पर केजीसी के जरिये ऋण प्राप्त किया हुआ है तथा राजस्व रिकॉर्ड में रहन का नामान्तरकरण भी मिन रेस्पोंडेंट बैंक के पक्ष में दर्ज हैं। जब तक उक्त ऋण राशि की अदायगी नहीं हो जाती हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड में रहन फक का नामान्तरण दर्ज नहीं हो जाता, तब तक राजस्व रिकॉर्ड में मिन रेस्पोंडेंट बैंक के हकों तक किसी भी प्रकार की तब्दीली किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः जब तक मिन रेस्पोडेट बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि की अदायगी नहीं हों जाती हैं, तब तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मिन रेस्पोंडेंट बैंक के पक्ष में रहन आराजी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाकर बैंक के हक व अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित किया जावें। अपील में दर्ज तथ्यों से ही स्पष्ट है कि अपीलांट का मुख्य विवाद अन्य रेस्पोंडेटगण के मध्य का है। अपीलाट व अन्य रेस्पोंडेंटगण ने आपस में साज–बाज कर उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट माननीय न्यायालय से मिन रेस्पोंडेंट के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील मिन रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रथम दृष्टतया हीं खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाट को मिन रेस्पोंडेंट के विरूद्ध कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। मिन रेस्पोंडेंट के हक में विवादित्त आराजी रहन हैं एवं जब तक मिन रेस्पोंडेंट बैंक को सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि की अदायगी नहीं हो जाती है। अपीलांट, मिन रेस्पोंडेंट के हक में रहन सम्पत्ति की हद तक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिये भी अपीलांट के हको तक अपील अपीलांट काबिले खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलांट द्वारा अपने अपील में मिन रेस्पोडेंट के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मिन रेस्पोडेंट को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। इसलिये प्रस्तुत अपील मिन रेस्पोंडेंट के हक व अधिकारों तक खारिज किये जाने योग्य है।

12. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र पर उभयपक्षों की बहस व राजीनामे अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 03.06.2016 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत 2067–2070 के आराजी खतौनी संख्या 322 कुल किता 57 कुल रकबा 33.6500 है0 व खतौनी संख्या 259 कुल किता 65 कुल रकबा 38.7300 है0 वाकै ग्राम हटुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध सजरा अनुसार उक्त आराजीयात पैतृक आराजीयात है। उक्त आराजीयत के संबंध में वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 9, 11 लगायत 14 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे में वर्णित परिशिष्ट अ,ब,स,द,य,र,ल,व,ष एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा किया जाकर

लगान की फेटबंदी व खाता अलहदा–अलहदा किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है। इस बाबत कथन किए गए।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण जरिए राजीनामा अनुसार न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिंगोलाव में किया गया, चूंकि कैम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्षों के मध्य विधिक राजीनामा तस्दीक किया गया हो व उक्त राजीनामे पर अपीलांट की फोटो मय हस्ताक्षर भी हैं।

अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में किसका हिस्सा कम व किसका हिस्सा ज्यादा हुआ है, यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है जबकि उक्त डिक्री के बाद उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 82/2015 बउनवानी गोपी बनाम रामलाल वगैरह जो दिनांक 27.07.2015 को वाद प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 08.09.2020 को सभी पक्षकारों ने स्वयं उपस्थित होकर के सहमति के आधार पर शेष बची भूमि का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी सुविधा अनुसार आराजीयात् का बंटवारा/तकासमा किया और उक्त डिक्री में कोई खसरा छूट गया जिसमें लिपिकीय त्रुटि होने पर उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 09.12.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर दिनांक 08.09.2020 को अंतिम डिक्री पारित की गई और उक्त आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई।

अपीलांट द्वारा अपील में रेस्पोडेंट संख्या 4, 10 एवं 15 डिक्री के समय न्यायालय में तलबी के बावजूद उपस्थित नहीं होना बताया। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 4, 10 व 15 के द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष नोटेरीकृत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें वह प्रथम डिक्री दिनांक 03.06.2016 व द्वितीय डिक्री दिनांक 08.09.2020 से सहमत थे व उक्त राजीनामे पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर की डिक्री दिनांक 03.06.2016 की पालना में तहसीलदार दूदू द्वारा डिक्री की पालना करके राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारों के खाते अलग–अलग कायम कर दिये गए है व उनकी पालना भी हो चुकी है।

अपीलांट के राजीनामे व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर है। उनके द्वारा यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में क्या त्रुटि कारित हुई है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें किसी भी आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है चूंकि राजीनामे के विपरीत यदि उन्हें किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाता है तो लोक अदालत कैम्प कोर्ट में राजीनामे के तहत निस्तारित किए गए प्रकरणों का महत्व ही नहीं रह जाएगा। वर्तमान प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने अपील प्रस्तुत करने के विधिक अधिकार का दुरूपयोग किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विधिक बल नहीं होने से अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

13. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 83/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर